

बिन्दु क्रमांक-01

प्राक्कथन

प्राक्कथन लोकतंत्र में शासन जनता का होता है, और उसे जनता के लिए, जनता के द्वारा संचालित किया जाता है। भारतीय संविधान सहभागी लोकतंत्र के सिद्धान्त पर आधारित है। शासन व्यवस्था में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये नागरिकों द्वारा चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। संविधान की यह मान्यता है कि, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की इच्छा व आकांक्षा के अनुरूप संविधान सम्मत शासन का संचालन व नीतियों का निर्धारण इस प्रकार हो कि, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये शासन को हर स्तर पर जनता के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक है। यह तभी संभव है जब नागरिकों को शासन व उसके अधीन समस्त प्रशासनिक इकाइयों के क्रिया कलापों की उन सारी सूचनाओं को प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो, जो उनसे जुड़ी है, या जो जनहित में आवश्यक हो। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2003 में राज्य शासन ने मध्यप्रदेश जानकारी की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 क्रमांक 3 सन 2003 पारित किया व अब केन्द्र शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है। नगर पालिका परिषद पिपरिया मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के अन्तर्गत गठित एक निगमित निकाय है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक "लोक प्राधिकारी" है। नगर पालिका परिषद के कार्य व कर्तव्य नागरिकों से सीधे जुड़े हुए है। अतः नागरिकों को नगर व नागरिकों के लिये निर्धारित की जानेवाली नीति, स्वीकृत योजनाएं व नगर पालिका व उसके अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य तथा कार्यप्रणाली की समग्र जानकारी नागरिकों को एक स्थान पर प्राप्त हो सके इसी उद्देश्य से अधिनियम की धारा 4 में वर्णित समस्त जानकारी समाहित करते यह हस्त पुस्तिका तैयार की गई है। इस हस्तपुस्तिका में अंकित जानकारी व सूचना से अधिक जानकारी या किसी अभिलेख की प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिये निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

बिन्दु क्रमांक-02

अन्य सूचनाएँ धारा 4 (1) (बी) (सत्रह)

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कोई भी नागरिक नगर परिषद द्वारा नियुक्त लोक सूचना अधिकारी को विहित प्रारूप में आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र की रसीद प्रदान की जावेगी। आवेदक को अभिलेखों की प्रतिलिपि का निर्धारित शुल्क जमा कराना होगा। अधिनियम 2005 की धारा 8 में वर्णित कारणों से आवेदक द्वारा चाहीगई सूचना/अभिलेखों की प्रति से इंकार किया जा सकता है, जिसकी लिखित सूचना आवेदक को दी जावेगी।
2. नगर पालिका के नीतिगत विनिश्चयों, नगरीय विकास योजनाओं एवं लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा प्रशासनिक सुधार के लिये नागरिकों के रचनात्मक प्रस्ताव एवं सुझाव की वांछा करना है, व नागरिक लोक सूचना अधिकारी के पास रखी सुझाव पुस्तक में अपना सुझाव अंकित कर सकता है, या लिखित में दे सकता।
3. नगरपालिका परिषद प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल एवं समितियों की बैठक के कार्यवृत्त आम नागरिकों की जानकारी व अवलोकन हेतु नगरपालिका परिषद कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित किये जाते हैं, व उनका निःशुल्क निरीक्षण कर सकेंगे।
4. नगरपालिका परिषद के करों से संबंधित ऐसेसमेंट व डिमांड रजिस्टर का कम्प्यूटराईज्ड करने का प्रयास किया जा रहा है व अन्य ऐसे इलेक्ट्रानिक साधनों की व्यवस्था भविष्य में की जावेगी, जिससे नागरिकगण सूचना के अधिकार के अंतर्गत त्वरित व सुगमता से जानकारी प्राप्त कर सके।
5. नगरपालिका परिषद ने नागरिकों के कार्यों हेतु सीटीजन चार्टर का प्रकाशन किया है। नागरिकों से अनुरोध है कि, वे अपने कार्य भवन निर्माण, नल कनेक्शन, सफाई, प्रकाश, करों आदि के आवेदन निर्धारित प्रारूप, वांछित अभिलेखों व फीस के साथ प्रस्तुत करें। जिससे उनके आवेदन निर्धारित समय-सीमा में निराकृत हो सके।
6. अन्य

बिन्दु क्रमांक-03

- 3 -

नगरपालिका परिषद के प्रत्येक विभाग के कार्य एवं कर्त्तव्य

अ.क्र.	विभाग	कार्य
1	सामान्य प्रशासन विभाग	<p>लोक प्राधिकरण के सामान्य प्रशासन की सुचारू व्यवस्था एवं संचालन तथा लेखाओं के संधारण का यह विभाग उत्तरदायी है । उसके प्रमुख कार्य एवं कर्त्तव्य निम्नानुसार है –</p> <p>प्रशासन –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यालय की समुचित व्यवस्था । 2. अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति, अवकाश कार्य विभाजन । 3. कार्यालयीन पत्र-व्यवहार का संधारण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण । 4. रिकार्ड – पत्रों का आवक-जावक, पंजीकरण व निरस्तीकरण । 5. परिषद, प्रेसीडेन्ट इन कौंसिल परामर्श दात्री समितियों के सम्मेलन की सूचना उसके कार्यवृत्तो का संधारण उसके द्वारावांछित जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत करना व उनके निर्णयो के क्रियान्वयन व पालन हेतु संबंधित विभाग अधिकारियों को प्रेषित । 6. कार्यालयीन निरीक्षण व पर्यवेक्षण । 7. वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदनों का पालन ।
		<p>लेखा –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निकाय के करों, शुल्को अनुज्ञा शुल्को व अन्य मदो में कर्मचारियों द्वारा वसूल या प्राप्त की गई है, की जाँच कर प्राप्त कर निर्धारित रोकड़ पुस्तक में अंकित करना व कोषालय या बैंक में जमा करना । 2. निकाय द्वारा किये जाने वाले समस्त भुगतानों की जाँच करना व सुनिश्चित करना कि, सम्पादित कार्य/क्रय या व्यवहार की सक्षम स्वीकृति है। बजट प्रावधान है, स्टॉक रजिस्टर या लेजर बुक में प्रविष्टी है, व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान करना व उसका लेखा निर्धारित लेखा पुस्तिका में संधारित करना । 3. मासिक, त्रैमासिक वार्षिक लेखाओ को तैयार करना व विनिर्दिष्ट अधिकारियों को भेजना ।

		4. वार्षिक आय- व्यय अनुमान पत्रक तैयार करना ।
--	--	---

- 4 -

		<p>5. समस्त प्रतिभूतियों, अमानतो, अग्रिमो के लेखों का संधारण ।</p> <p>6. ऋण एवं अनुदान से प्राप्त समस्त राशियों को लेखाओं कासंधारण ।</p> <p>7. जनसहयोग या स्वेच्छिक अभिदाता द्वारा प्राप्त राशियों का लेखा निधारण प्रारूप रजिस्टर में रखना ।</p> <p>8. प्राधिकरण के सम्पूर्ण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का संधारण ।</p> <p>9. लेखाओं का अंकेक्षण एवं अंकेक्षण प्रतिवेदनों का निराकरण ।</p>
2	राजस्व विभाग	<p>प्राधिकरण के राजस्व विभाग का मुख्य कार्य एवं कर्तव्य निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों शुल्को, एवं अन्य प्रभार तथा नगर पालिका मार्केट्स, स्लाटर हाउस एवं अस्थायी एवं स्थायी लीजरेट तथा भूमि किराया –प्रिमियम आदि से संबंधित अभिलेख विहित प्रारूप में संधारण एवं वसूली करना है, इन कर्तव्यों की पूर्ति हेतु उसके द्वारा निम्न कार्य संपादित किये जाते हैं –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सम्पत्ति कर, सफाई कर, जलकर, प्रकाश का, शिक्षाकर एवं अन्य सभी करों, जिनकी कर निर्धारण सूची वार्षिक तैयार की जाती है, उनकी कर निर्धारण रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र में तैयार करना । 2. निकाय द्वारा आरोपित समस्त करों व शुल्को की शीघ्र वसूली करना । 3. करों शुल्को व अन्य देयक राशियों की वसूली हेतु निर्धारित प्रारूप में आवश्यक संख्या में रसीद बुको की व्यवस्था उसके संशय व समाप्त होने पर वापस जमा करना, सुनिश्चित करना । 4. राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा वसूल की गई राशि का यथा समय नगर पालिका कोष में जॉच उपरांत जमा करना व उसका पर्यवेक्षण करना । 5. राजस्व विभाग द्वारा जारी रसीदों का मूल रसीदों से कम से कम 10 प्रतिशत रसीदों को मिलान व सत्यापन करना । 6. नगर पालिका मार्केट, दूकाने, भूमि व अन्य संपत्ति के आवंटन हेतु सार्वजनिक घोष या टेण्डर्स आदि की कार्यवाही । अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के अनुरूप करना, व संबंधित अनुबंधों का निष्पादन सुनिश्चित करना ।

		<p>7. बकाया करों व शुल्को व किराये की वसूली हेतु अधिनियम के प्रावधानुसार बिल मांग सूचनापत्र व वारंट जारी करना व उनकी तामीली सुनिश्चित करना</p> <p>8. कांजी हौस की व्यवस्था व वसूली पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण।</p> <p>9. विहित प्रारूपों में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक या निर्धारित सामयिक पत्रको में करों आदि की वसूली की जानकारी विहित अधिकारी को देना।</p>
3	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य विभाग	<p>लोक प्राधिकरण के इस विभाग का दायित्व नागरिकों को चिकित्सा व जन-स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं बिमारियों की रोक थाम, नगर की सफाई कचरा व ठोस अपशिष्टों का निपटान, ड्रेनेज व नालियों की सफाई आदि की व्यवस्था करना है। इन दायित्वों के निर्वहन हेतु वह निम्न कार्यों को सम्पन्न करना है -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जन-स्वास्थ्य के लिये वेक्सीनेशन की व्यवस्था। 2. महामारी के समय प्रतिबंधात्मक उपाय, दवाइयों का विवरण व चिकित्सीय व्यवस्था। 3. पशुवध गृह, होटलो आदि का निरीक्षण। 4. खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों की जाँच। 5. नगरीय क्षेत्र की सड़को, नालो व नालियों की सफाई। 6. सार्वजनिक शौचलयों, मूत्रालयों (सुलभ शौचालयों) का निर्माण। 7. शुष्क शौचालयों को शौचालय में परिवर्तन। 8. शुद्ध पर्यावरण हेतु उद्यानों का निर्माण, रखरखाव व वृक्षारोपण। 9. केन्द्र एवं राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं हेतु सर्वे, रजिस्ट्रीकरण एवं हितग्राहियों को सहायक वितरण।
4	लोक निर्माण विभाग	<p>अधिकरण के इस विभाग के निम्न कार्य व कर्तव्य है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. नगर विकास से संबंधित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन, निर्माण कार्यों का संपादन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण। 2. नगर के सुनियोजित विकास की दृष्टि से कालोनियों के विकास की नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत वांछित स्वीकृति, भवन निर्माण की अनुमति दी जाना। 3. जन सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक भवनों, सार्वजनिक सड़को, फुटपाथो व खुली भूमियों से अतिक्रमण हटाने।

		4. बिना अनुमति एवं अनुमति के विरुद्ध निर्माण कार्यो को हटाना व उनके विरुद्ध विधानांतर्गत कार्यवाही करना ।
5	जलकार्य विभाग	<p>प्राधिकरण का जल कार्य विभाग निम्न कर्त्तव्य व कार्यो को सम्पन्न करना है –</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जलप्रदाय की सम्पूर्ण व्यवस्था – इन्टेकवेल – फिल्टर प्लांट, स्टोरेज, सप्लाय का संधारण एवं पर्यवेक्षण । 2. मुख्य व वितरण पाईप लाईन का संधारण परिवर्धन, परिवर्तन । 3. पब्लिक स्टेण्ड का संधारण । 4. जलकष्ट की स्थिति में पेयजल की व्यवस्था टैंकर्स व अन्य साधनों से सुलभ कराना । 5. व्यक्तिगत नल कनेक्शन की स्वीकृति व उनका पर्यवेक्षण । 6. नगर पालिका के स्वामित्व व सार्वजनिक जलस्रोतो, तालाबो, कुओं आदि का संधारण ।
6	कर्मशाला विभाग	इस विभाग का कार्य नगरीय निकाय के वाहनों, मशीनो व पम्पो आदि के संधारण व मरम्मत की व्यवस्था करना है, साथ ही वाहनों के लिये चालक परिचालक, क्लीनर आदि स्टाफ की उपस्थित, अवकाश आदि का नियंत्रण भी इस विभाग के जिम्मे रहता है ।
7	अग्निशामक विभाग	<p>कार्य एवं कर्त्तव्य</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अग्निशामक वाहनों का संधारण । 2. आग की स्थिति अग्निशामन की त्वरित व्यवस्था । 3. आपात स्थिति में प्रशासन व नागरिकों की सहायता ।
8	शिक्षा विभाग	<p>शिक्षा विभाग के कार्य</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. म.प्र नगरीय निकाय संविदा शाला शिक्षक (नियोजन एवं संविदा की शर्तेद्ध नियम 2005 के प्राधानुसार शिक्षको की नियुक्ति ।

बिन्दु क्रमांक-04

संगठन की विशिष्टिया, कृत्य एवं कर्त्तव्य

नगरपालिका परिषद पिपरिया जिला होशंगाबाद की स्थापना 1 अक्टूबर सन् 1922 में हुई। वर्तमान में मप्र.नगर पालिका अधिनियम 1961 व उसके अंतर्गत बनाये गये, नियमों से वह अपने कर्त्तव्यों को सम्पादित कर रही है। परिषद के मुख्य कर्त्तव्य व कार्यों का विवरण नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 123 में विनिर्दिष्ट है। जो निम्नानुसार है -

- (क) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा भवनों को प्रकाशित करना,
- (ख) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा मल-नालियों और ऐसे समस्त स्थानों को साफ करना जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों और जो सार्वजनिक उपभोग के लिए खुले हों, भले ही ऐसे स्थान परिषद में निहित हों या न हों, हानिकारक घासपात को हटाना और समस्त सार्वजनिक न्यूसेंस का उपशमन करना,
- (ग) विष्टा तथा कूड़ा करकट का व्ययन करना और विष्टा तथा कूड़ा करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करना,
- (घ) आग बुझाना और आग लग जाने की दशा में जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करना,
- (ङ) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियमन या उपशमन करना,
- (च) सार्वजनिक पथों या स्थानों में से तथा ऐसे स्थलों में से, जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों, और जो सर्वसाधारण के उपभोग के लिए खुले हों, भले ही ऐसे स्थल परिषद, में निहित हों या राज्य सरकार में निहित हों, बाधाओं तथा प्रक्षेपित भागों को हटाना,
- (छ) मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए स्थान अर्जित करना, उनका अनुरक्षण करना, उनमें तब्दीली तथा उनका विनियमन करना,
- (ज) महामारी या अन्य अकल्पित आपात-स्थिति में मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए ऐसे विशेष उपाय करना जो विहित प्राधिकारी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन इस सम्बंध में निदेश देने के लिए सशक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित किए जाएं,
- (झ) खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना तथा अस्वास्थ्यकर परिक्षेत्रों का पुनरुद्धार करना,
- (ञ) सार्वजनिक पथों, पुलियों, नगर पालिका के सीमा - चिन्हों, मण्डियों, हाटों, वधशालाओं, शौचालयों,संडासों, मूत्रालयों, नालियों, मल-नालियों, जल निकास-संकर्मों, मलनाली से संबंधित संकर्मों,स्नानगृहों, धुलाई के स्थानों, पीने के पानी के नलों, तालाबों, कुओं, बांधों तथा उसी प्रकार के अन्यसंकर्मों का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना और उनका अनुरक्षण करना,
- (ट) कांजी हाउसों की स्थापना करना तथा उनका प्रबंध करना और जहाँ पशु अतिचार अधिनियम,1871, 1871 का सं. (1) प्रवर्तन में हो वहां उस अधिनियम की धारा 4, 5, 6, 7, 12, 14, 17 तथा

19 के अधीन राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट के समस्त कृत्य करना,

(ठ) जल के वर्तमान प्रदाय के अपर्याप्त तथा अस्वास्थ्यकर होने के कारण निवासियों तथा घरेलू पशुओं के स्वास्थ्य को खतरे से बचाने के लिए उचित तथा पर्याप्त जल प्रदाय या अतिरिक्त जलप्रदाय को जब तक ऐसा प्रदाय या अतिरिक्त प्रदाय युक्तियुक्त खर्च से प्राप्त किया जा सकता हो, प्राप्त करना और ऐसे जल का नियतकालिक रूप से सूक्ष्म परीक्षण करना,

(ड) पथों तथा उद्यानों का नामकरण करना तथा मकानों को संख्याकित करना,

(ढ) जन्म, विवाह तथा मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण करना,

(ण) सार्वजनिक, टीके लगाना,

(त) किन्हीं भी ऐसे बछड़ों, गायों या भैसों के लिए, जो पशु टीके (लिम्फ) के प्रदाय के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर अपेक्षित हों, उपयुक्त स्थान की व्यवस्था करना,

(थ) पशुओं का रजिस्ट्रीकरण करना तथा ऐसे अन्तरालों से जो विहित किए जाएं, कृषि उपयोगी पशुओं की गणना,

(द) ऐसे उपाय करना जो संक्रामक रोगों के पैदा होने या फेलने या उनकी पुनरावृत्ति होने से रोकने के लिये अपेक्षित हों,

(ध) नगर पालिका के प्रशासन पर ऐसी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना जैसी राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा उसे (रिपोर्ट को) प्रस्तुत करने के लिए परिषद से अपेक्षा करें,

(न) ऐसे प्रकार के तथा ऐसी स्थिति में, जिसका कलेक्टर द्वारा अनुमोदन किया जाए, मजबूत सीमा चिन्हों का निर्माण करना जो नगर पालिका की सीमाओं या उनमें किसी परिवर्तन को परिनिश्चित करते हों,

(प) परिषद के सफाई कर्मचारीवृन्द के लिए आवास गृहों का सन्निर्माण तथा उनका अनुरक्षण करना,

(फ) प्राथमिक शालाओं की स्थापना तथा उनका अनुरक्षण करना, इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद अधिनियम की धारा 124 के खण्ड (क) से

(फ) में उल्लेखित निम्न विषयों के लिए नगर पालिका की स्थाई व निधि से विवेकानुसार व्यवस्था कर सकती है ।

बिन्दु क्रमांक-05

प्राधिकरण के विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य व शक्तियाँ

अ.क्र.	नाम पदाधिकारी		शक्तियाँ		कर्त्तव्य
1	नगर पालिका परिषद	1	म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत प्रदत्त प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियाँ ।	1	1. अधिनियम 1961 की धारा 123 मेंविनिर्दिष्ट कर्त्तव्य ।
		2	आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्यायकी योजनाए तैयार करना।	2	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को अवकाश की स्वीकृति
		3	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को अवकाश की स्वीकृति ।	3	परामर्श दायी समिति का निर्वाचन
		4	करारोपण एवं शुल्कों की स्वीकृति	4	धारा 109 के प्रावधानान्तर्गत नगर पालिका संपत्ति का अंतरण ।
		5	सम्पत्ति कर हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य का निर्धारण	5	अधिनियम के प्रयोजनों हेतु ऋण लेने की शक्ति
		6	प्रायवेट पथ को सार्वजनिक पथ घोषित करने की शक्ति	6	वार्षिक आय – व्यय की स्वीकृति
		7	सार्वजनिक पथों को नियमित लाईन का निर्धारण	7	क.7.नगर पालिका की दशा में 20 लाख से 3 करोड़ तक ख. नगर परिषद की स्थिति में10 लाख से 1 करोड़ तक ।
		8	मण्डी (मार्केट) की स्थापना		
		9	आदर्श दुग्ध उद्योग की स्थापना		
		10	धारा 307 के अंतर्गत अपील सुनने		
		11	परिषद की ओर से विधिक कार्यवाही		
		12	परिषद की ओर से अभियोजन की कार्यवाही		
		13	अधिनियमों से प्रयोजनों हेतु		

			उपविधियों का निर्माण		
2	. प्रेसीडेंट इन काउंसिल	1	धारा 94 (1) (2) (6) के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति एवं दण्ड	1	94 (1), (2) व (6) के अंतर्गत आनेवाले पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति ।

2			500/- से अनाधिक वार्षिक भाड़ा मूल्य एवं प्रिमियम को स्थान/संपत्ति को भाडे पर की स्वीकृति		धारा 109 व संबंधित नियमों अंतर्गत स्थान/संपत्ति का अंतरण ।
			वित्तीय शक्तियाँ क. नगर पालिका की दशा में रु 5/-लाख से अधिक 20 लाख तक ख. नगर परिषद की दशा में रु 2 लाख से 10 लाख तक।		वित्तीय अधिकार की सीमा तक निर्माण कार्य/खरीदी की स्वीकृति ।
		4	अधिनियम की धारा 93 (1) 94 (1)(2), 121 (1), 126, 160, 168 (7), 228, 235, 237, 238, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 253 (1) (3) 255 (1), 261, 262 (1)(3), 263, 265, 267, 272, 273, 274, 281 वे अंतर्गत प्राप्त शक्तियां।		कालम 2 के खण्ड (4) में उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही ।
3	अध्यक्ष	1	परिषद की बैठक की अध्यक्षता व संचालन एवं विनियम,	1	परिषद के निर्णयों का निष्पादन व संचालन ।
		2	अधिनियम की धारा 183 (5), 184, 186, 190, 203, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 218, 219, 268 एवं 283 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियाँ ।	2	परिषद की 184, 185 वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी ।
		3	आपात काल में परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कार्यों के निष्पादन व व्यय की स्वीकृति ।	3	कार्यपालक प्रशासन, परिषद के लेखाओं, अभिलेखों से संबंधित कार्यों व कार्यवाहियों का पर्यवेक्षण व नियंत्रण ।
		4	परिषद/प्रेसीडेंट इन काउंसिल द्वारा प्रदत्त अधिकारों अन्तर्गत स्वीकृतियों व कार्य ।	4	
4	मुख्य नगर पालिका	1	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति व दण्ड।	1	नगर पालिका के समस्त कार्यपालक एवं वित्तीय प्रशासन पर निगरानी ।

	अधिकारी				
		2	सफाई कर व अन्य करों की कर निर्धारण सूची तैयार करना।	2	नगर पालिका की ओर से पत्राचार।
		3	कर निर्धारण आपत्तियों का निराकरण।	3	परिषद द्वारा लिये गये निर्णयों का अधिनियम व उसके अंतर्गत बने नियमों अनुसार पालन

		4	करों व भाड़े की वसूली हेतु वित्तीय बिल, मांग सूचना पत्र, वारंट जारी करने की शक्ति।	4	अधिनियम की धारा 180 (1) (2), 185, 187-ए, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200 (2) 204, 208, 213, 215, 216, 217, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 232, 233, 234, 236, 239, 241, 242, 246, 250, 251, 252 एवं 285
		5	वित्तीय शक्तियाँ क. नगर पालिका की दशा में रु. 1 लाख तक। ख. नगर परिषद की दशा में रु. 50 हजार तक।	5	
		6	अन्य शक्तियाँ जो परिषद/प्रेसीडेन्ट इन काउंसिलि द्वारा प्रदत्त या प्रत्यायोजित की जावे।	6	
		7	राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण कार्यों की स्वीकृति	7	

बिन्दु क्रमांक-07

प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन के लिये उसके द्वारा निर्धारित मानदण्ड/प्रतिमान
क. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये निम्न मानदण्ड एवं समय सीमा निर्धारित की गई –

सीटीजन चार्टर

ख. कार्यालयीन कार्यों का वर्ष के निर्धारण/लक्ष्य (Quantity Target)

1	करों की वसूली के लिये	वित्तीय वर्ष की शत – प्रतिशत
2	योजना कार्यों के लिये	अंकित समय सीमा
3	बजट में प्रावधानित निर्माण कार्य	शत – प्रतिशत

बिन्दु क्रमांक-08

नगर पालिका परिषद के कृत्यों का निर्वहन करने के लिये उसके द्वारा धारित या
उसके नियंत्रण के अधीन या उसके कर्मचारियों/कर्मकारों/नियोजितों के द्वारा उपयोग किये
गई, नियमों, विनियमों, अनुदेशों

मुन्युअल्स और अभिलेख

अधिनियम

1. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961,
2. अधिनियम के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियम,
3. म.प्र. मूलभूत नियम,
4. म.प्र. सिविल सेवा पेंशन नियम 1971,
5. म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966,
6. म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम 1955,
7. म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965,

8. म.प्र. भूमि विकास नियम,
9. केटल ट्रेसपास एक्ट,
10. नगर परिषद द्वारा बनाई गई उपविधियों,
11. परिपत्र –
 1. म.प्र. सामान्य प्रशासन पुस्तक परिपत्र,
 2. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग एवं संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा समय – समय पर जारी परिपत्र एवं निर्देश,

बिन्दु क्रमांक-09

म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1961 में नगरपालिका परिषद के नीति निर्धारण एवं उसकेपरिपालन/क्रियान्वयन में लोक प्रतिनिधित्व देने के संबंध में व्यवस्था की निम्न विष्टिया है, जिसकेअन्तर्गत नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों (पार्षदों) तथा सामान्य नागरिकों का परामर्श प्राप्त होता है ।

1. नगरपालिका परिषद द्वारा निर्धारित की जाने वाली नीति व कार्य व उनका क्रियान्वयन पार्षदों के बहुमत से लिये गये निर्णय से किया जाता है ।
2. नगर पालिका अधिनियम की धारा 70 के अंतर्गत मेयर इन काउंसिल के गठन का प्रावधान है ।(क) प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल का गठन –
 1. प्रत्येक परिषद के लिये एक प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल होगी जो धारा 43 के अधीन उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख से सात दिन के भीतर निर्वाचित पार्षदों में से अध्यक्ष द्वारा गठित की जायेगी ।
 2. प्रेसीडेन्ट – इन – काउंसिल नगर पालिका परिषद की दशा में अध्यक्ष तथा सात सदस्यों और नगर पंचायत की दशा में अध्यक्ष तथा पाँच सदस्यों से मिल कर बनेगी ।
 3. प्रेसीडेन्ट – इन – काउंसिल के सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे ।
 4. प्रत्येक परिषद में ऐसे विभाग होंगे जो कि, किये जाएँ और प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल के सदस्य ऐसे विभाग के जैसा कि, अध्यक्ष उचित समझे, प्रभारी बनाये जायेंगे ।
 5. अध्यक्ष, प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल का पदेन सभापति होगा और यदि उपस्थित रहा तो प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल के सम्मेलनों की अध्यक्षता करेगा । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, सम्मेलन में उपस्थित सदस्य अपने में से एक सदस्य को सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे ।

6. इस अधिनियम के अन्तर्विष्ट किस बात के होते हुए भी प्रेसीडेन्ट – इन – काउंसिल, अध्यक्ष और सदस्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जैसे कि, विहित किया जाए ।

(ख) कृत्य –

1. नगरपालिका की दशा में 5 लाख से अधिक किन्तु 20 लाख तक के व्यय की स्वीकृति । नगर परिषद की दशा में 2 लाख से अधिक किन्तु 10 लाख तक के व्यय की स्वीकृति ।

2. अधिनियम की धारा 93 (1) 94 (1), (2), 121 (1), 126, 160, 168, 168 (7), 228, 235, 237, 238, 249, 253 (1)(3), 255 (1), 261, 262 (1) (3), 263, 265, 267, 272, 273, 274, एवं 281 द्वारा परिषद में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग ।

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी के क्षेत्राधिकार उपर के प्रकरण संबंधित विभाग के प्रभारी सदस्य को निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाए ।

4. अधिनियम की धारा 57 (1), 61, 62, 71 (1), 138, 142 (1) 176 तथा 189 ए के अन्तर्गत परिषद में वेष्टित शक्तियों का प्रयोग करने ।

4. म.प्र. नगर पालिका अधिनियम की धारा 70 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत गठित प्रेसीडेन्ट इन काउंसिल के सदस्यों का विवरण ।

क्र.	नाम	वार्ड क्रमांक
1	श्री संतोष परते	09
2	श्री ब्रजेश दुबे	11
3	श्रीमति प्रभा साहू	15
4	श्रीमति प्रमिला प्रदीप मंडलोई	03
5	श्री छगनलाल आत्मज श्री बाबूलाल कुचबंदिया	07
6	श्रीमति परवीन बानो	05
7	श्रीमति उमा राजा सोनी	14

5. कर्त्तव्य एवं दायित्व – उपरोक्त पेरा 3 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यो व कर्त्तव्यों का सम्पादन ।

6. प्रेसीडेन्ट – इन – काउंसिल की बैठक की कार्यवाही कार्यवृत्त पुस्तिका में लेखबद्ध की जावेगी व नागरिकों को उसके निरीक्षण का नियमानुसार अधिकारी है ।

3. अधिनियम की धारा 71 के अन्तर्गत निर्वाचित पार्षदों की सलाहकार समितियों के माध्यम से विभाग से सम्बंधित प्रकरणों व नीतियों पर सलाह प्राप्त की जाती है ।

4. अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत परिषद आवश्यकतानुसार अधिनियम के प्रयोजनों से सम्बंधित किसी भी प्रकरण में जॉच व प्रतिवेदन हेतु पार्षदों की परामर्शदात्री समिति गठित करने का प्रावधान है ।
5. अधिनियम की धारा 72 के अंतर्गत नागरिकों की वार्ड समिति का गठन कर उनका परामर्श नीति निर्धारण व कार्य सम्पादन में सुनिश्चित किये जाने की भी व्यवस्था है ।
6. अधिनियम की धारा 122 क के अन्तर्गत परिषद लेखाओं का सामाजिक अंकक्षण करवाने की व्यवस्था करने के लिये अधिकृत है ।
7. अधिनियम की धारा 325 के अन्तर्गत शासन के निर्देशों के अनुसार किसी भी विषय में आम नागरिकों की राय प्राप्त करना परिषद के लिये बन्धनकारी है ।

बिन्दु क्रमांक-10

अधिनियम के अन्तर्गत निम्न समितियों के गठन का प्रावधान है:-

सलाहकार समिति (धारा 71)

क्र.	विभाग का नाम	सभापति / सदस्य का नाम
1	आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग	01 श्री संतोष कुमार परते (सभापति)
		02 श्री दिनेश कुमार मालवीय (सदस्य)
		03 श्रीमति उमा राजा सोनी (सदस्य)
		04 श्री मनोज महेश्वरी (सदस्य)
		05 श्री कैलाश चौरसिया (सदस्य)
		06 श्रीमति सुजाता दिनेश राजपूत (सदस्य)
2	जल कार्य विभाग	01 श्री ब्रजेश दुबे (सभापति)
		02 श्रीमति प्रभा साहू (सदस्य)
		03 श्री सुरेश गोस्वामी (सदस्य)
		04 श्री कैलाश चौरसिया (सदस्य)
		05 श्रीमति मीना राकेश पगारे (सदस्य)
		06 श्रीमति उर्मिला दुबे (सदस्य)
3	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग	01 श्रीमति प्रभा साहू (सभापति)
		02 श्री ब्रजेश दुबे (सदस्य)
		03 श्रीमति परवीन बानो (सदस्य)
		04 श्रीमति प्रमिला प्रदीप मंडलोई (सदस्य)

		05 श्री रज्जाक खान (सदस्य)
		06 श्री मनोज महेश्वरी (सदस्य)
4	राजस्व तथा बाजार विभाग	01.श्रीमति प्रमीला प्रदीप मंडलोई(सभापति)
		02.श्री दिनेश कुमार मालवीय (सदस्य)
		03.श्री सुरेश गोस्वामी(सदस्य)
		04.श्रीमति ललिता राजेश पुर्विया(सदस्य)
		05.श्रीमति प्रेम बाई साहू (सदस्य)
		06.श्री हरीश कुमार बेमन(सदस्य)
5	खाद्य नागरिक आपूर्ति, पुर्नवास एवं नियोजन विभाग	01.श्री छगनलाल आत्मज श्री बाबूलाल कुचबंदिया(सभापति)
		02.श्री सुरेश गोस्वामी(सदस्य)
		03.श्रीमति प्रमीला प्रदीप मंडलोई(सदस्य)
		04 श्री ब्रजेश दुबे (सदस्य)
		05.श्रीमति रेखा राजू सोनी(सदस्य)
		06.श्री रज्जाक खान (सदस्य)
6	शिक्षा महिला तथा कल्याण विभाग	01.श्रीमति परवीन बानो(सभापति)
		02.श्री छगनलाल आत्मज बाबूलाल कुचबंदिया(सदस्य)
		03.श्रीमति प्रभा साहू(सदस्य)
		04.श्री संतोष परते(सदस्य)
		05.श्री हरीश कुमार बेमन(सदस्य)
		06.श्रीमति रेखा राजू सोनी(सदस्य)
7	विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग	01.श्रीमति उमा राजा सोनी (सभापति)
		02.श्री दिनेश कुमार मालवीय (सदस्य)
		03.श्रीमति ललिता राजेश पुर्विया(सदस्य)
		04.श्री किशोर डाबर(सदस्य)
		05.श्रीमति सुजाता दिनेश राजपूत(सदस्य)
		06.श्री कैलाश चौरसिया(सदस्य)

1. आवास पर्यावरण एवं लोक निर्माण विभाग ।
2. जल कार्य विभाग ।
3. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ।
4. राजस्व तथा बाजार विभाग ।

5. खाद्य नागरिक आपूर्ति, पुर्नवास एवं नियोजन विभाग ।
6. शिक्षा महिला तथा कल्याण विभाग ।
7. विधि तथा सामान्य प्रशासन विभाग ।

गठन – प्रेसीडेन्ट इन काँसिल के विभागीय पदाधिकारी एवं अन्य 3 निर्वाचित पार्षदो को सम्मिलित करते हुए समिति अध्यक्ष द्वारा सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा ।

कार्य –

1. संबंधित विभाग के कार्यों बाबत सुझाव देना ।
2. म.प्र. नगर पालिका (सलाहकार समितियों) के कर्त्तव्य तथा उनके कामकाज के संचालन हेतु प्रक्रिया नियम 1997 में दी गई अनुसूचि में निर्दिष्ट कर्त्तव्य एवं कर्त्तव्य नियम की प्रति संलग्न की जावे ।
3. कर्त्तव्यों में समाविष्ट कार्यों के लिये निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति देना व,
4. ऐसे प्रकरण मेयर इन-काँसिल या परिषद में प्रस्तुत करने की अनुज्ञा देना ।

बिन्दु क्रमांक-12

प्रत्येक एजेन्सी (विभाग) के लिये आवंटित बजट (आय एवं व्यय पत्रक)

(क)

आय

अ.क्र.	शीर्ष	उपशीर्ष	वर्ष-2015-16	प्रावधान आय	वास्तविक आय 2015-16
1	2	3	4	5	6
1.	(क) न.पा.कर एवं दर	—	—	817,10,000	626,37861
2	(ख) विशेष अधिनियम आर्थिक प्राप्तियां	—	—	97000	3575
3	(ग) अन्य स्रोतो से प्राप्त राजस्व	—	—	52,04,000	1527,903
4	(घ) अनुदान एवं अंशदान	—	—	1895,70,000	7,10,58025
5	(ङ) जलकर से प्राप्तियां	—	—	—	—
6	(च) विकास शुल्क	—	—	448,40,000	7,58805
7	(छ) विविध	—	—	2,25,95000	6576203

व्यय

अ.क्र.	शीर्ष	उपशीर्ष	वर्ष-2015-16	प्रावधान व्यय	वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6
1	(क) सा.प्र.और संग्रहालय प्रभार	—	—	1,74,35,000	1,72,19936
	(ख) सार्वजनिक सुरक्षा	—	—	1,02,25,000	1,02,17,451
	(ग) जन स्वास्थ्य एवं सुविधा	—	—	18,79,90,000	6,01,26,445
	(घ) लोक निर्माण	—	—	7,95,00,000	2,32,01,303
	(ङ) सार्वजनिक शिक्षा	—	—	81,35,000	16,07,708
	(च/छ) अंशदान/विविध	—	—	4,06,80,000	1,2,32,104

बिन्दु क्रमांक-13

स्वीकृत कार्य एवं योजनाएँ :-

क्र.	योजना का नाम	वार्ड का नाम	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	रिमार्क
01.	यू.आई.डी. एस.एस.एम. टी योजनान्तर्गत	पिपरिया निकाय	नर्मदा जल आवर्धन योजना	25. 83लाख	25. 83लाख		प्रगतिरत
02	यू.आई.डी. एस.एस.एम. टी योजनान्तर्गत सडक निर्माण फेश-1	तहसील तिगडडे से कोर्ट परिसर तक	उत्कर्ष सडक निर्माण	190. 55लाख	190. 55लाख	120. 33लाख	पूर्ण
	फेश- 2	01.तिलक वार्ड में बजरंग दाल मिल से ओवर हैड टैंक तक	सी.सी.रोड	28. 09लाख	28. 09लाख	39. 45लाख	पूर्ण
		02.रैंक पाइंट	सी.सी.रोड	52. 07लाख	52. 07लाख	61. 80लाख	पूर्ण
		03. राजेन्द्र वार्ड में नवीन महेश्वरी भवन	सी.सी.रोड	33. 68लाख	33. 68लाख	30. 05लाख	पूर्ण
		04. व्ही.व्ही. गिरी वार्ड दुर्गा किराना	सी.सी.रोड	22. 70लाख	22. 70लाख	23. 29लाख	पूर्ण

		से रामकिशन राय					
		05. व्ही.व्ही. गिरी वार्ड में भरत मेडिकल से पुष्पेन्द्र भार्गव	सी.सी.रोड	27. 05लाख	27. 05लाख	18. 16लाख	पूर्ण
		06. राजीव गांधी वार्ड में राधेश्याम पालीवाल से राजेश मन्नरवार	सी.सी.रोड	31. 29लाख	31. 29लाख		अप्रारंभ
03	निकाय निधि द्वारा	01. जाकिर हुसैन वार्ड	जय प्रकाश कस्तूरबा शापिंग काम्पलेक्स निर्माण	194. 00लाख	194. 00लाख		प्रगतिरत
		02. जय प्रकाश वार्ड	गांधी शाला निर्माण	58. 59लाख	58. 59लाख		प्रगतिरत
04	स्वच्छ भारत मिशन	समस्त वार्डों में शौचालय निर्माण	319 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण	43.38 लाख	43. 38लाख	7.23लाख	60 शौचालय का कार्य पूर्ण

बिन्दु क्रमांक- 14

1	ई-मेल आई.डी.नगर परिषद पिपरिया	—	cmopipariya@mpurban.gov.in
2	फैक्स	—	निरंक
3.	टेलीफोन नम्बर	—	07576-222041
4	मोबाईल नम्बर	—	9893163050
5	फेसबुक	—	निरंक
6	वॉट्सअप नम्बर	—	

बिन्दु क्र.- 15

लोकसूचना:- सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचनकक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं

कार्यालय नगर पालिका परिषद पिपरिया के सभाकक्ष में हर प्रकार की मीटिंग की जाती है।

बिन्दु क्र. 16

लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां

क्र	स्तर	लोक सूचना अधिकारी	सहायक लोक सूचना अधिकारी	प्रथमअपीलीय अधिकारी
1	नगर पालिका परिषद पिपरिया	श्री पी.एस.बुंदेला मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद पिपरिया 07576-222041(9893163050)	श्री कमलेश रघुवंशी जिला प्रभारी मुख्य लिपिक नगर पालिका परिषद पिपरिया 07576-222041(8959305686)	श्री सुरेश वेलिया संभागीय संचालक नगरीय प्रशासन एव विकास भोपाल संभाग भोपाल (0755-2768687)

बिन्दु क्रमांक- 17

अन्य जानकारी

1.	नगर पालिका पिपरिया में वाहन, फायर बिग्रेड	—	02
2.	ट्रेक्टर	—	05
3.	ट्राली	—	04
4.	मैजिक	—	03
5.	पानी टैंकर	—	15
6.	हैंडपंप	—	67
7.	नलकूप / ट्यूबवेल	—	23
8.	ओपर हेड टैंक	—	04
9.	घरेलू नलकनेक्शन	—	4228
10.	सार्वजनिक नल	—	278
11.	व्यवसायिक नल	—	03
12.	मडपंप	—	01
13.	पार्क	—	01 निर्माणाधीन
14.	विद्युत पोल	—	1617
15.	जनरेटर	—	02

मुख्य नगर पालिका अधिकारी

नगर पालिका परिषद पिपरिया

बिन्दु क्रमांक-06

विनिश्चय / निर्णय किये जाने के प्रक्रम में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और निगरानी/पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही के माध्यम / सारणी

1 परिषद् :-

प्रेषककर्त्ता – मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अध्यक्ष अथवा प्रेसिडेंट इन काउंसिल के अनुमोदन से ।

निर्णयकर्त्ता – परिषद्

अपील/पुनरीक्षण – शासन

2. प्रेसिडेंट इन काउंसिल :-

प्रेषककर्त्ता – मुख्य नगर पालिका अधिकारी

निर्णयकर्त्ता – प्रेसिडेंट इन काउंसिल

अपील/पुनरीक्षण – परिषद् /संचालक

क्रमांक	विभाग	प्रकरण प्रारंभकर्ता कर्मचारी	डिलीग कर्मचारी	अधिकारी जिसके माध्यम से निर्णय प्रस्तुत होता है।	निर्णयकर्ता अधिकारी	निगरानी/पर्यवेक्षण अधिकारी	प्राधिकारी जिसके प्रति उत्तरदायी
1	लेखा शाखा	श्री मुकेश पठारिया	श्री मुकेश पठारिया	श्री पी.एस.बुंदेला (मु.न.पा.अधि.)	मु.न.पा.अधि. पी.आई.सी. परिषद्	श्री पी.एस.बुंदेला (मु.न.पा.अधि.)	परिषद्
2	स्थापना शाखा	श्री मुकेश पठारिया	श्री मुकेश पठारिया	श्री पी.एस.बुंदेला (मु.न.पा.अधि.)	मु.न.पा.अधि. पी.आई.सी. परिषद्	श्री पी.एस.बुंदेला (मु.न.पा.अधि.)	परिषद्
3	लोक निर्माण शाखा	फरहान अहमद	फरहान अहमद	श्री धुर्वे (R.E.S.)	मु.न.पा.अधि. पी.आई.सी. परिषद्	श्री धुर्वे (R.E.S.)	परिषद्
4	जल प्रदाय शाखा	श्री अरुण सिंह राजपूत	श्री अरुण सिंह राजपूत	श्री धुर्वे (R.E.S.)	मु.न.पा.अधि. पी.आई.सी. परिषद्	श्री धुर्वे (R.E.S.)	परिषद्
5	राजस्व शाखा	श्री पुरुषोत्तम पटैल	श्री पुरुषोत्तम पटैल	श्री पुरुषोत्तम पटैल	मु.न.पा.अधि. पी.आई.सी. परिषद्	श्री पुरुषोत्तम पटैल	परिषद्
6	जन्म-मृत्यु शाखा	श्रीमति रेणु राज	श्रीमति रेणु राज	श्री पी.एस.बुंदेला (मु.न.पा.अधि.)	मु.न.पा.अधि. पी.आई.सी. परिषद्	श्री पी.एस.बुंदेला (मु.न.पा.अधि.)	परिषद्
7	स्टोर शाखा	श्री दयाचंद ठाकुर	श्री दयाचंद ठाकुर	श्री पी.एस.बुंदेला (मु.न.पा.अधि.)	मु.न.पा.अधि. पी.आई.सी. परिषद्	श्री पी.एस.बुंदेला (मु.न.पा.अधि.)	परिषद्
8	स्वास्थ्य शाखा	श्री पुरुषोत्तम पटैल	श्री पुरुषोत्तम पटैल	श्री पुरुषोत्तम पटैल	मु.न.पा.अधि. पी.आई.सी. परिषद्	श्री पुरुषोत्तम पटैल	परिषद्

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् पिपरिया

कार्यालय नगरपालिका परिषद पिपरिया जिला होशंगाबाद म.प्र.

प्राधिकारी के अधिकारियों और कर्मचारियों नियोजितों की निर्देशिका

क.	कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पदनाम	पता	मोबाईल नं.
1	2	3	4	5
1	श्री पी.एस. बुन्देला	मु0न0पा0अ0	विनोवा वार्ड पिपरिया	9893163050
2	रेणुराज	सहा.ग्रेड 3	विनोवा वार्ड पिपरिया	9753991461
3	श्रीमति नूतन ढिमोले	स.पा.	विनोवा वार्ड पिपरिया	
4	ममता सिरसाम	स.पा.	विनोवा वार्ड पिपरिया	9479589209
5	प्रभा दोहरे	सहा.ग्रेड 2	विनोवा वार्ड पिपरिया	9575206628
6	कमलेश रघुवंशी	सहा.ग्रेड 2	विनोवा वार्ड पिपरिया	8959305686
7	प्रीतम सिंह	सहा.ग्रेड 2	विनोवा वार्ड पिपरिया	
8	मुकेश पठारिया	सहा.ग्रेड 2	विनोवा वार्ड पिपरिया	7415860623
9	जगदीश प्रसाद चौरसिया	सहा.ग्रेड 3	विनोवा वार्ड पिपरिया	
10	पुरुषोत्तम पटैल	उ.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	9425644855
11	सिबूलाल	स.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	
12	जय कुमार नाग	स.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	9981688680
13	रामेश्वर दृन्सुआ	स.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	
14	रूपेश मौर्य	स.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	9425475709
15	संतोष भार्गव	स.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	
16	पुष्पा मिश्रा	स.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	
17	मनोहर आरसे	स.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	9827439010
18	उमा शंकर देसाई	स.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	9893623252
19	राजू अहिरवार	स.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	9098996500
20	दया चंद	स.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	9752071602
21	बट्टू सिंह	स.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	9993185041
22	लाल साहव	स.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	9752110371
23	अरुण सिंह राजपूत	स.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	9425476049
24	धर्मेन्द्र शर्मा	स.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	7415392719
25	मनोज मौर्य	स.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	9074122581
26	ओम प्रकाशविश्वकर्मा	स.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	9329695299
27	बेनी बिलासपुरिया	स.रा.नि.	विनोवा वार्ड पिपरिया	9179065727
28	गायत्री शर्मा	सरानि	विनोवा वार्ड पिपरिया	
29	फरहान अहमद	सरानि	विनोवा वार्ड पिपरिया	7415523060
30	श्री रमेशकुमार कहार	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया	
31	शिव प्रसाद	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया	
32	श्रीमति रामबाई कहार	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया	
33	प्रहलाद पुरोहित	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया	
34	ललिता बाई	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया	
35	राज कुमार राय	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया	
36	राज कुमार मेहरा	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया	
37	दीपक	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया	
38	मोहन लाल	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया	
39	जहाँगीर शाह	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया	
40	शांता बाई	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया	8085050180
41	कामता प्रसाद	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया	
42	द्वारका मेहर	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया	
43	दौलत सिंह	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया	
44	अनीसा कूरैशी	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया	
45	लखन लाल	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया	7771079180

46	फिरोज खान	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया
47	कृष्णा बाई	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया
48	मुरली धर	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया
49	नन्ही बाई	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया
50	मिन कुमारी	भृत्य	विनोवा वार्ड पिपरिया
51	अमर कुमार मोर्य	पम्पआ0	विनोवा वार्ड पिपरिया
52	गोपाल मशकोले	पम्पआ0	विनोवा वार्ड पिपरिया
53	शंकरलाल साहू	फिटर	विनोवा वार्ड पिपरिया
54	शालकराम	बालमेन	विनोवा वार्ड पिपरिया
55	रामप्रकाश चौवे	चैनमेन	विनोवा वार्ड पिपरिया
56	अशोक ठाकुर	झायवर	विनोवा वार्ड पिपरिया
57	मुन्ना रामचरण	मिस्त्री	विनोवा वार्ड पिपरिया
58	जरीना वी	मिस्त्री	विनोवा वार्ड पिपरिया
59	अशोक पन्ना	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
60	प्रकाश गणेश	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
61	कु0 सुमन बाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
62	मुन्नीबाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
63	महेश मनी	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
64	गोपाल	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
65	महेश छोटा	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
66	राजूविशन	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
67	पप्पूगया	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
68	नर्मदा प्रसाद	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
69	कमताप्रसाद	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
70	कमला लच्छु	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
71	गोपी बाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
72	तारा बाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
73	विमला बाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
74	कृष्णा विजय	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
75	शकुन राय	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
76	जमना बाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
77	दुर्गा बाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
78	रामबाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
79	कृष्णा-गोपाल	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
80	शकुन-सुन्दर	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
81	दास प्रसाद	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
82	अशोक-झवकी	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
83	संतोष	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
84	सुरेश	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
85	महेश-कलीराम	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
86	पूरुषोत्तम	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
87	गीता बाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
88	शकुन-महेश	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
89	राकेश हरिचरण	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
90	शांति बाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
91	राकेश-मुन्नु	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
92	सतीश	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
93	राजेश-सुन्दर	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
94	रूपेश-ओमप्रकाश	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
95	राकेश-सुन्दर	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
96	लीला बाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
97	मालती बाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया

98	दीपक-हरप्रासाद	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
99	तल्लाबाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
100	कमला चन्नी	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
101	मुन्नी बाई कैलाश	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
102	शीला बाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
103	उषा - गोपाल	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
104	लताबाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
105	विनीत कुमार	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
106	उषा -पुरुषोत्तम	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
107	सावित्री- शैकर	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
108	शारदा - राजेश	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
109	सूरज बाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
110	प्रदीप	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
111	सुनीता - दासप्रसाद	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
112	सुशील कुमार	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
113	मायाबाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
114	सीताबाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
115	सुनीता - रामबाबू	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
116	कु0 पूनम	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
117	रेखा बाई	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
118	मोहन लाल	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया
119	जयदीप	जनसेबक	विनोवा वार्ड पिपरिया

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद् पिपरिया